क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम: Health Action Plans (Including Block, Village)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): District Planning

बजट क्रम संख्या/एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): B7.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच आमजन तक प्रभावी ढंग से हो पा रही है जिससे स्वास्थ्य सेवाएं में बहुयामी सुधार हुआ है। तथापि कई अवरोध भी दृष्टिगोचर हुए है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इस कारण जिला, प्रखंड, स्वास्थ्य उप केंद्र तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य योजना का बनाना अति महत्वपूर्ण है।

राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा पिछले वर्षो मे जिला, प्रखंड स्वास्थ्य उप केंद्र स्तर एवं ग्रामीण स्तर पर कार्ययोजना का निर्माण शुरू किया गया था, जिसमें काफी सफलता मिली है। वित्तीय वर्ष 2013–2014 मे वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सभी 38 जिलो में ग्रामीण स्तर से लेकर जिला स्तर तक की कार्ययोजना तैयार करने का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था जिसे सफलता पूर्वक पूरा करा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में जिलों में Planning कार्य हेतु नोडल अधिकारी ACMO होगें तथा जिला प्रबंधन इकाई से DPC होगें।

इकाई राशि (रू० में) तथा वित्तीय दिशा निर्देशन :

- जिला स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करने के लिए रू0 20000/– प्रति जिला व्यय किया जाना एवं **HPD** जिलो के लिए रू0 26000/– प्रति जिला व्यय किया जाना है। इसके तहत् विभिन्न मदो में राशि का व्यय किया जाना निर्धारित है– जैसे वर्कशाप (कम से कम 2), मिटिंग, यात्रा भत्ता, भोजन, फोटोकॉपी, व अन्य Planning से संबंधित खर्च, जिला के आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है।
- District Planning Coordinator को Mobile Recharge हेतु कुल रू0 300/- प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।
- District Planning Coordinator को Planning से सम्बंधित Office Expenditure(Micellaneous expenditure and Modem Purchase,Internet Facility related expenditure etc.) हेतु कुल रू0 2000/- प्रतिमाह का प्रावधन किया गया एवं **HPD** जिलो के लिए रू0 2600/– प्रति जिला व्यय किया जाना है।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए Village Health Action Plan बनानें की प्रक्रिया राज्य के सभी जिलों में आरम्भ की जानी है।प्रत्येक जिला को, 2 प्रखण्डों का चयन कर, प्रत्येक प्रखण्ड से 5 VHAP का निर्माण किया जाना है।प्रत्येक जिला के द्वारा 10 VHAP का निर्माण करना अनिवार्य है। इस कार्य हेतू जिला राशि United Fund for VHSC B 2.6 से अधिकतम RS. 250/- प्रति वर्ष प्रति revenue village व्यय की जा सकती है। इस गतिविधि हेतु आशा का सहयोग लेना अनिवार्य है।
- इन कार्यो की जवाबदेही मुख्यत: DPC की होगी।DPC के नहीं रहने की स्थिती में इसकी जवाबदेही DPM की होगी।लेकिन Overall Responsibility, DPM की ही रहेगी क्योकि जिले का NRHM DHAP/BHAP/VHAP बनाना है।

Planning के कार्य निम्न होगें:–

1. District Planning Coordinator का चयन की प्रक्रिया जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा, एवं चयनित अभयर्थी को जिला स्वास्थ्य समिति में पदस्थापन कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को पत्र के माध्यम से सूचित करना।
2. जिला, प्रखंड, स्वास्थ्य उप केंद्र तथा ग्रामीण योजना समिति, का गठन करना ।प्रसांगिक पत्र संख्या – SHSB/SPM/98/10/20681 dt.22.10.10
3. कार्यशाला/मिटिंग जिसमें वर्ष 2015–16 के लिए योजना को प्रतिपादन एवं अन्तिम रूप से तैयार कर, राज्य को समर्पित करने की सर्म्पूण जिम्मेवारी DPC एवं DPM की होगी।
4. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए त्रैमासिक बजट को कर्णाकिंत करना साथ ही साथ प्रखंड स्तर तक 2014–15 के लिए त्रैमासिक बजट को कर्णाकिंत कर इसकी अनुमोदित प्रतियां सभी प्रखंडो को ससमय उपलब्ध कराना।
5. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा करने के उपरान्त fund Re-allocation (Non performing to performing Institutions) की प्रकिया पुरी कर राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को पत्र के माध्यम से सूचित करना।यह कार्य December 2014 में करना है।
6. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा–निर्देश को वर्कशाप के माध्यम से सभी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आदि) को जानकारी देना।
7. वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए जिला स्वास्थ्य समिति के बेवसाईड पर जिला स्वास्थ्य कार्य योजना, प्रखंड स्वास्थ्य कार्य योजना तथा Fund Allocation को अपलोड कराने की सर्म्पूण जिम्मेवारी DPC की होगी, जिसे वह DMEO के माध्यम से करेगे।

मुख्य Objective:

वित्तीय वर्ष 2015–16 NRHM का VHAPs HSC Plans, BHAPs, DHAP तैयार करना।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

(a) SHSB/SPM/98/10/20681 dt.22.10.10
(b) SHSB/SPM/144/2012/8876 dt.17/10/2012

HPD जिलो के नाम

कंम सं0	नाम	कंम सं0	नाम
1	**अररिया**	**2**	**गया**
3	**जमुई**	**4**	**कटिहार**
5	**पूर्णियाँ**	**6**	**पूर्वी चम्पारण**
7	**शिवहर**	**8**	**सीतामढ़ी**
9	**सहरसा**	**10**	**किशनगंज**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : के0 एल0 दास
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9470003021

289

क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम: Health Action Plans (Including Block, Village)

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष (अनुलग्नक 2 के आधार पर): Block Planning

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० संख्या (अनुलग्नक–2 के आधार पर): B7.3

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण : राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच आमजन तक प्रभावी ढंग से हो पा रही है जिससे स्वास्थ्य सेवाएं में बहुयामी सुधार हुआ है। तथापि कई अवरोध भी दृष्टिगोचर हुए है जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। इस कारण जिला, प्रखंड, स्वास्थ्य उप केंद्र तथा ग्रामीण स्वास्थ्य कार्य योजना का बनाना अति महत्वपूर्ण है।

इकाई राशि (रू०में) तथा वित्तीय दिशा निर्देशन :

- जिला स्वास्थ्य कार्य योजना तैयार करने के लिए रू0 2000/– प्रति प्रखंड व्यय किया जाना है एवं **HPD** जिलो के अर्न्तगत आने वाले प्रखंडो के लिए रू0 2000/– प्रति प्रखंड व्यय किया जाना है जैसे मिटिंग, नाश्ता, फोटोकॉपी, व अन्य मिटिंग से संबंधित खर्च, जैसे मार्कर, चार्ट पेपर, फोटोकॉपी इत्यादि।

Planning के कार्य निम्न होगें:–

1. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए प्रखंड स्तर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अन्य स्वास्थ्य संस्थानों के लिए वार्षिक तथा त्रैमासिक बजट तैयार करने की सर्म्पूण जिम्मेवारी BHM तथा MOIC की होगी। इसको लगातार Monitor DPC द्वारा किया जाना है।
2. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा–निर्देश को वर्कशाप के माध्यम से सभी स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी आदि) को जानकारी देना।
3. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए Village Health Action Plan बनानें की प्रक्रिया राज्य के सभी जिलों में आरम्भ की जानी है।प्रत्येक जिला को, 2 प्रखण्डों का चयन कर, प्रत्येक प्रखण्ड से 5 VHAP का निर्माण किया जाना है।प्रत्येक जिला के द्वारा 10 VHAP का निर्माण करना अनिवार्य है। इस कार्य हेतू जिला राशि United Fund for VHSC B 2.6 से अधिकतम RS. 250/- प्रति वर्ष प्रति revenue village व्यय करेगा। इस गतिविधि हेतु आशा का सहयोग लेना अनिवार्य है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं० तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का नाम : के0 एल0 दास

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/ सलाहकार का फोन नंबर : 9470003021

क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश

कार्यक्रम का नाम– Orientation Workshops, Trainings and Capacity building of PRI for RKS at District health Society, CHC and PHC

बजट क्रम संख्या/एफ.एम.आर. कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर) B8.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5–10 वाक्य अधिकतम)

DHS, रोगी कल्याण समिति का कार्य व्यापक है। विहित नियम के अनुसार इसके सदस्यों का चयन किया जाता है। विभिन्न कार्य वर्गो से आने वाले सदस्य को सरकारी नियमावली की जानकारी अनिवार्य है। इसके लिए NHM के तहत प्रावधान है कि उनकी जानकारी स्तर को क्षमता की महत्तम ऊंचाई दी जाए। इस क्षमतावर्द्धन के लिए आवष्यक है कि उनके लिए समय–समय पर प्रषिक्षण/कार्यषाला का आयोजन आदि गतिविधियां की जाए। इसके लिए वित्तीय प्रावधान है जिसका FMR Code B8.2 है।

सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति का दायित्व होगा कि वे अपने –अपने जिले में इस कार्यक्रम को मूर्त्त रूप दें ताकि PRI सदस्यगण अस्पताल की गतिविधि को दिषा–अनुरूप अपना सुझाव दें सकें। इससे विष्वास है कि अस्पतालों में स्थानीय तौर पर लोगों की भागीदारी प्रबंधन के मामलें में मजबूत हो सकेगी तथा इस क्रम में होने वाले भ्रम को दूर करने में सहुलियत होगी।

प्रत्येक जिलों को मद में दी जाने वाली राषि Annexure-1 पर अंकित है। ध्यान रहें कि इस तरह का उन्मुखीकरण षिविर PRI के लिए जिला स्वास्थ्य समिति, CHC/RH एवं PHC स्तर पर ही होना है।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं– तिथि के साथ उल्लेखित करें

(क) NA **(ख) NA**

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का नाम– डॉ० राज नारायण द्विवेदी
संबंधित कार्यक्रम अधिकारी/सलाहकार का फोन नम्बर– 9934409075

FMR Code – B 8.2